संचिका सं0–17/वासभूमि (अभियान बसेरा)–03/2023–.........410........ (17)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 30/5/2025

विषय :– अभियान बसेरा के **"Not Fit for Land Allotment"** वाले परिवारों के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक–216(17), दिनांक–06.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में अभियान बसेरा–2 के तहत सुयोग्य श्रेणी के सर्वेक्षित परिवारों को वासभूमि आवंटन की जा रही है। अभियान बसेरा के अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा में यह मामला प्रकाश में आया है कि "Not Fit for Land Allotment" के तहत बड़ी संख्या में सर्वेक्षित परिवारों को वासभूमि आवंटन की श्रेणी से बाहर किया गया है।

उक्त मामले पर विभागीय पत्रांक–216(17), दिनांक–06.03.2025 के द्वारा निदेश निर्गत है कि अंचल स्तर पर गैर राजस्व संवर्गीय पर्यवेक्षकों की एक टीम बनाकर अंचलवार ऑनलाइन ऐप के माध्यम से "Not Fit for Land Allotment" का Cross Check कराते हुए जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

उक्त वर्णित विषय की जाँच हेतु अभियान बसेरा–2 के तहत सर्वेक्षित वैसे परिवार जिन्हें "Not Fit for Land Allotment" के तहत सुयोग्य नहीं बताया गया है, उनकी जाँच हेतु राजस्व कर्मचारी मोबाइल ऐप में अभियान बसेरा मेनू अन्तर्गत "Reverify Rejected Applicant" के नाम से उपलब्ध जाँच प्रपत्र में प्रतिवेदन भरना आवश्यक है। साथ ही वैसे सर्वेक्षित परिवार जिनको भूमि आवंटन का कार्य शुरू नहीं किया गया है उन्हें ऐप के माध्यम से भूमि आवंटन करते समय स्वीकृत/अस्वीकृत हेतु भी इस प्रपत्र में प्रतिवेदन भरना अनिवार्य है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि अभियान बसेरा–2 के तहत "Not Fit for Land Allotment" के तहत वासभूमि आवंटन की श्रेणी से बाहर किए गए परिवारों की जाँच हेतु के0सी0 मोबाईल ऐप में अभियान बसेरा मेनू अन्तर्गत "Reverify Rejected Applicant" के नाम से उपलब्ध जाँच प्रपत्र में प्रतिवेदन भरने हेतु पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाय एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

29/5/2025

(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

D:\SEC-17_2022\Abhiyan Basera-2.docx 54

संचिका सं0–17 / वासभूमि (अभियान बसेरा)–03 / 2023–.................. (17) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 6 / 3 / 2025

विषय :– अभियान बसेरा–2 के अन्तर्गत "Not Fit For Land Allotment" से संबंधित मामलों की जाँच कराने तथा गलत सर्वेक्षण करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–10.02.2025 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी। जिसमें अभियान बसेरा–2 के तहत अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार कुल 1,23,146 सर्वेक्षित परिवारों में से कुल 36,458 परिवारों को **"Not Fit For Land Allotment"** के तहत वासभूमि आवंटन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिसमें **"Not Fit For Land Allotment"** के तहत अत्यधिक मामले बाहर होने के कारण मुख्य सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है।

उक्त समीक्षा बैठक में अभियान बसेरा–2 के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेश दिया गया है कि अंचल स्तर पर गैर राजस्व संवर्गीय पर्यवेक्षकों की एक टीम बनाकर अंचलवार ऑनलाइन ऐप के माध्यम से **"Not Fit For Land Allotment"** का **Cross Check** कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय, साथ ही दिनांक–28.01.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह भी निदेश दिया गया है कि अभियान बसेरा–2 के अन्तर्गत पूर्व में किये गए गलत सर्वेक्षण करने वाले दोषी पदाधिकारी / कर्मचारी पर जाँचोपरांत अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायी जाय, साथ ही कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
6/3/25
(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांक–17 / वासभूमि (अभियान बसेरा)–03 / 2023– 216 (17) / रा0, पटना–15, दिनांक–6/3/25

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह),
सचिव। 6/3/25

D:\SEC-17_2022\Abhiyan Basera-2.docx 48

अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत सर्वेक्षित वैसे परिवार जिनको आवंटन हेतु सुयोग्य नहीं बताया गया उनकी जांच हेतु प्रपत्र

1. क्या आवेदक सुयोग्य श्रेणी के हैं?
   (हाँ/ नहीं) अगर नहीं तो आवेदक किस श्रेणी के हैं?
2. अगर आवेदक सुयोग्य श्रेणी का है तो क्या आवेदक के पास अपनी निजी भूमि है?
   (हाँ/ नहीं) अगर हाँ तो आवेदक की भूमि का विवरण दर्ज करें:
   जिला, अंचल, हलका, मौज़ा, खाता, खेसरा, रकबा
3. अगर आवेदक के पास निजी भूमि नहीं है तो क्या आवेदक वास-भूमि रहित हैं?
   (हाँ/ नहीं) यदि नहीं तो उन्हे प्राप्त वासभूमि का विवरण दर्ज करें:
   जिला, अंचल, हलका, मौज़ा, खाता, खेसरा, रकबा
4. अगर आवेदक वासभूमि रहित है तो क्या आवेदक का दुबारा सर्वेक्षण किया गया है?
   (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो सर्वेक्षण वाले ग्राम का नाम दर्ज करें
5. अगर आवेदक वासभूमि रहित है तो क्या उसे किसी अन्य हल्का में भूमि आवंटन की जानी है?
   (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो आवंटन किए जाने वाले हल्का, ग्राम का का नाम दर्ज करें
6. यदि आवेदक सुयोग्य श्रेणी के हैं, वासभूमि भी नहीं है तो वर्तमान में आवेदक किस भूमि पर निवास कर रहे हैं?
   जिला, अंचल, हलका, मौज़ा, खाता, खेसरा, रकबा
7. वर्तमान में आवेदक जिस भूमि पर निवास कर रहे हैं क्या उक्त भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र श्रेणी (जैसे- बांध, जलनिकाय अथवा वनभूमि इत्यादि) अंतर्गत आती है?
   (हाँ/ नहीं) यदि हाँ तो प्रतिबंधित क्षेत्र श्रेणी

✓ **उपरोक्त जाँच राजस्व कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। यह प्रपत्र अभियान बसेरा मेनू अंतर्गत "Reverify Rejected Applicant" के नाम से उपलब्ध है।**

✓ **वैसे सर्वेक्षित परिवार जिनके आवंटन का कार्य शुरू नहीं किया गया है उनके आवंटन/ अस्वीकृत हेतु यह प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा। इसी प्रपत्र के उत्तर के आधार पर**